1991–92 के दौरान केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से क्रमशः 76,286 रुपये, 49,943 रुपये और 74,338 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ ।

पौड़ी गढ़वाल में भी जिला सैनिक बोर्ड द्वारा एक सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा है । वर्ष 1992–93 के दौरान इसे राज्य सैनिक बोर्ड से 1,97,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं

2003. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है :

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं :

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर सैनिक विश्राम गृह बनाए गए हैं और क्या सरकार उत्तर प्रदेश में नए सैनिक विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जिला सैनिक बोर्डों द्वारा 15 मई, 1992 से की जा रही भूतपूर्व सैनिकों की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1992 तक कुल 1,46,564 भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज किए गए हैं ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए व्यापक व्यवस्था है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह बैंक "ग" और "घ" पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण के अलावा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं । इनमें सेम्फेक्स–1, 2 और 3 योजनाएं भी शामिल हैं । इन योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए लघु उद्योग धंधे स्थापित करने अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि और गैर-कृषि कार्य करने, पेट्रोलियम पदार्थ एजेंसियों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एजेंसियों आदि के आबंटन की व्यवस्था की गई है ।

भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और नजदीकी कैंटीन स्टोर विभाग की कैंटीनों से कैंटीन सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं । युद्ध में वीरगति प्राप्त अथवा निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे निःशुल्क शैक्षणिक सुविधाएं जैसे फीस, छात्रावास प्रभार, वर्दी आदि का खर्च पाने के हकदार हैं । युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को रेल की द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल-भाड़े में 75% की रियायत दी जाती है । शौर्य पुरस्कार विजेताओं को भी वायुयान और रेल की द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए भाड़े में 50% की रियायत दी जाती है । युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों और शांतिकाल में सेवा के दौरान हताहत हुए सैन्य कार्मिकों को मकान बनाने और लड़की की शादी करने के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है । इस के अलावा, निर्धन भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की कल्याण निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है । गम्भीर बीमारियों के विशेष डाक्टरी इलाज के लिए अनुदान राशि भी दी जाती है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में नए सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । उत्तर प्रदेश में मौजूदा सैनिक विश्राम गृहों की अवस्थिति

का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

उत्तर प्रदेश में सैनिक विश्राम गृह

1. अलीगढ़
2. अल्मोड़ा
3. आजमगढ़
4. बलिया
5. बरेली
6. बुलन्दशहर
7. देवरिया
8. एटा
9. इटावा
10. फैजाबाद
11. फरूखाबाद
12. गाजीपुर
13. गोरखपुर
14. कानपुर
15. लैंसडौन
16. पौड़ी (गढ़वाल)
17. मैनपुरी
18. मेरठ
19. मुजफ्फरनगर
20. प्रताप गढ़
21. पिथौरागढ़
22. राय बरली
23. शाहजहांपुर
24. सुल्तानपुर
25. वाराणसी
26. आगरा
27. इलाहाबाद
28. बहराइच
29. बांदा
30. बाराबंकी
31. बस्ती
32. बदायूं
33. चमोली
34. देहरादून
35. फतेहपुर
36. गोंडा
37. हमीरपुर
38. हरदोई
39. जालौन (उरई)
40. जौनपुर
41. झांसी
42. खीरी
43. लखनऊ
44. मथुरा
45. मिरजापुर
46. मुरादाबाद
47. रामपुच
48. सहारनपुर
49. सीतापुर
50. टेहरी
51. उन्नाव
52. उत्तरकाशी
53. नैनीताल
54. गजियाबाद
55. बिजनौर
56. पीलीभीत
57. कानपुर गांव
58. सोनभद्र
59. सिद्धार्थ नगर
60. मऊ
61. हरिद्वार
62. फिरोजाबाद
63. महाराजगंज

One rank one pension scheme

2004. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of DEFENCE to be pleased to state whether Government propose to improve upon the present one-rank-one pension scheme as worked out in O.T.I. (One Time Increase) to remove certain anomalies particularly to provide